राजस्थान सरकार

मेडिक्लेम पॉलिसी धारकों के लिए आवश्यक सूचना

(01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मी/विद्युतकर्मी व अन्य)

1. 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मी/विद्युतकर्मी एवं अन्य पर लागू मेडिक्लेम पॉलिसी का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (साधारण बीमा निधि), वित्त भवन, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।
2. मेडिक्लेम पॉलिसी में सभी राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/राज्य के बाहर के अनुमोदित चिकित्सालयों में सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर अधिकतम बीमाधन की सीमा तक (इण्डोर) ईलाज करवाये जाने पर पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है।
3. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2016–17 अनुपालना में पांचो विद्युत कंपनियो के कार्मिको की मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमाधन की सीमा रू. 2.00 लाख से बढ़ाकर रू. 3.00 लाख कर दी गई है।
4. पॉलिसी में पारिभाषित आपातकालीन परिस्थितियों (पॉलिसी क्लॉज–6.3) को छोड़कर गैर अनुमोदित निजी चिकित्सालय में ईलाज कराने पर भुगतान देय नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियो में करवाये गये ईलाज के संबंध में निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–6) में "शपथ–पत्र" नियमानुसार प्रस्तुत करें।
5. राज्य कर्मचारियों के ''ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड'' दिनांक 01.10.2014 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर ही तैयार किये जा रहे है। पूर्व में विभिन्न टीपीए द्वारा जारी किये गये कार्ड दिनांक 01.04.2016 से मान्य नहीं होंगे। अतः बीमित राज्य कर्मचारी संबंधित जिला कार्यालय में सम्पर्क कर ''ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड'' अवश्य तैयार करवा लेवें। राज्य कर्मचारियो के अतिरिक्त अन्य मेडिक्लेम पॉलिसियो के बीमाधारको के "ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड" साधारण बीमा निधि कार्यालय से ही तैयार किये जावेगें।
6. बीमित कर्मचारी अनुमोदित निजी चिकित्सालय में भर्ती होते समय ही ''ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड'' चिकित्सालय में प्रस्तुत करें एवं स्वयं का मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमित होना अवश्य सूचित करें अन्यथा अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा सी.जी.एच.एस. दरों से अधिक राशि चार्ज की जा सकती है।
7. कैशलेस चिकित्सा सुविधा मेडिक्लेम पॉलिसी में परिभाषित केवल Critical Illness (पॉलिसी क्लॉज–3.7) के मामलों में ही देय है।
8. राज्यकर्मियों के 01.04.2016 (पॉलिसी वर्ष 2016–17) एवं उसके पश्चात् उत्पन्न सभी मेडिक्लेम दावों का निस्तारण ''रियल टाईम बेसिस'' पर ऑनलाईन एप्लीकेशन (sipf portal) के माध्यम से ही किया जा रहा है। ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यकर्मियों का 16 अंकीय एम्प्लाई आई.डी. ही उसका लॉगइन आई.डी. होगा एवं यदि बीमित कार्मिक द्वारा पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो उसकी जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) ही उसका पासवर्ड होगा।
9. बीमित ऑनलाईन दावा प्रपत्र की सभी कॉलमो की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगा, अपूर्ण दावा प्रपत्र सब्मिट नही किया जा सकेगा। बीमित एम्प्लाई आई.डी. से लॉगिन कर Mediclaim Help के माध्यम से ऑनलाईन दावा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है।

10. sipf portal पर ऑनलाईन सभी आवश्यक पूर्ति करने एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाने के पश्चात् बीमित कार्मिक दावे को अपने डी.डी.ओ. के माध्यम से ऑनलाईन फारवर्ड करवायेगा एवं समस्त दावा प्रपत्रो (सभी मूल दस्तावेजों सहित) की हार्ड कॉपी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय जिसमें कार्मिक की एम्प्लाई आई.डी. है, में जमा करवायेगा।
11. बीमित राज्य कर्मचारी दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् दावें की ट्रेकिंग एवं आवश्यक जानकारी अपनी एम्प्लाई आई.डी./लॉगइन आई.डी. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त कर सकेगा। दावे से संबंधित सूचना बीमित को मोबाईल मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त होगी।
12. दावा स्वीकृत होने पर दावा राशि का भुगतान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बीमित के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावेगा।
13. मेडिक्लेम पॉलिसी, प्रस्ताव पत्र, दावा प्रपत्र का प्रारूप, परिशिष्ट, ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की नवीनतम सूची व अन्य समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा जनहित में जारी